

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला

सं. जी-115/01

महाप्रबंधक कार्यालय,
दिनांक - 17.10.12

विषय - फर्मों/कंपनी/शैक्षणिक संगठनों आदि द्वारा Canopies/Stall लगाने हेतु प्रक्रिया ।

रेडिका, कपूरथला में फर्मों/कंपनियों/ शैक्षणिक संगठनों द्वारा समय-समय पर अपने उत्पादों के प्रचार अथवा sale के लिए canopies/stall लगाने की मांग की जाती है जिसके लिए उन्हें अक्सर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने वाले पार्क में स्थान आबंटित किया जाता है। उन्हें उपलब्ध करवाए गए स्थान के भाड़े की एवज में उनसे राशि वसूल कर के लेखा विभाग में जमा करवा दी जाती है। Canopies/Stall की मांग अधिकतर Vehicles, Real Estate, Insurance आदि की फर्मों, Banks अथवा शैक्षणिक संगठनों द्वारा की जाती है।

मांग करने वाली फर्म को 01 सप्ताह पूर्व आवेदन देना होगा तथा विभागीय अनुमति मिलने के पश्चात् फर्म को रु. 3000/- (तीन हजार) जमानती राशि (Security Money) अनुमति देने वाले विभाग के पास तथा मांगे गए क्षेत्रफल का निर्धारित भाड़ा लेखा विभाग में जमा करवा कर रसीद देनी होगी। इसके बाद ही फर्म को अनुमति पत्र दिया जाएगा।

इस संबंध में विभिन्न प्रयोजनों के लिए क्षेत्रफल (Area) सिविल विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं -

<u>उत्पाद</u>	<u>क्षेत्रफल (Area)</u>	<u>भाड़ा @ Rs.30/-per sqm.</u>
1. चौपहिया वाहन (Four Wheelers)	40 Sqm.	रु. 1200/- प्रतिदिन
2. दोपहिया वाहन (Two Wheelers)	30 Sqm.	रु. 900/- प्रतिदिन
3. शैक्षणिक संगठन/मोबाईल कंपनी/बैंक आदि	20 Sqm.	रु. 600/- प्रतिदिन

इस अवधि के दौरान नियम 2000 तथा (विनियम और नियंत्रण) (संशोधित नियम 2010) के अंतर्गत स्वच्छता एवं लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

1. प्रदर्शनी आयोजकों को निजी कूड़ेदान में (dustbin) की व्यवस्था करनी होगी तथा सारा कूड़ा उसी में डालना होगा।
2. प्रदर्शनी के दौरान या उसके पश्चात् आस-पासके क्षेत्र को पूरी तरह साफ रखने की जिम्मेदारी आयोजकों की अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा आयोजनकर्ता/संस्था को पुनः प्रदर्शनी लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट : निर्धारित किए गए स्थान पर नियत समय की समाप्ति के बाद वहां से टैट, कुर्सी, मेज आदि तुरंत उठवा दिए जाएं।